न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, जनपद औरैया।

CNR No. UPAU120039032022
परिवाद संख्या–1785/2022
गिरजेश कुमार   बनाम   ग्रीशचन्द्र आदि।
थाना बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–15.12.2022

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी पर सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक 14.08.2022 की है। समय 04:00 बजे शाम खेत पर जो मैंने खरीदा, वहॉ पर एक पिकअप खडी थी। प्रार्थी के खेत में जंगली जानवरों की सुरक्षा हेतु पिलर गडे थे, वो लोग गाडी में पिलर लोड कर रहे थे। ग्रीशचन्द्र, मुकेश, सुनील कुमार, मनोज कुमार, हरविलास व उदयवीर इन लोगों ने 40 खम्बे उखाडकर लाद लिये। मैंने मना किया, तो गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। वहॉ पर निर्भय सिंह, जितेन्द्र सिंह मौजूद थे। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए पिकअप से भाग गये।

परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवादी ने स्वयं को तथा धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 जितेन्द्र शाक्य व पी0डब्ल्यू0–2 निर्भय सिंह को परीक्षित कराया गया है। जिन्होंने परिवादी के कथनों का समर्थन किया है।

प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आवेदक द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक, औरैया को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, मूल रजिस्ट्री रसीद व एक किता छायाप्रति आधार कार्ड गिरजेश कुमार दाखिल किये गये है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षीगण ग्रीशचन्द्र, सुनील कुमार, मुकेश कुमार, मनोज कुमार, हरविलास व उदयवीर के विरूद्ध धारा–323, 504, 506, 379 भा0दं0सं0 का अपराध बनना पाया जाता है। तद्नुसार उपरोक्त विपक्षीगण के विरूद्ध धारा–323, 504, 506, 379 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण ग्रीशचन्द्र, सुनील कुमार, मुकेश कुमार, मनोज कुमार, हरविलास व उदयवीर के विरूद्ध धारा–323, 504, 506, 379 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। अभियुक्तगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 19.01.2023 को पेश हो।

अपर सिविल जज (जू0डि0),
बिधूना, औरैया।
J.O. Code No. U.P.-3738